(152)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 123-तीन/1996 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-10-1996 - पारित द्वारा आयुक्त रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 121/1994-95 निगरानी

1- तेज सिंह 2- लक्ष्मीनारायण सिंह
3- हीरमणि सिंह पुत्रगण साधु सिंह चौहान
तीनों ग्राम पोड़ी तहसील चितरंगी
जिला सीधी मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

1- जगदीश सिंह 2- बीरबहादुर सिंह
पुत्रगण स्व0बंशराज सिंह
3- जड़ौती 4- इकमन उर्फ उदउ
उर्मिला पुत्रियॉ स्व.बंशराज सिंह
सभी ग्राम पोड़ी तहसील चितरंगी जिला सीधी ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदकगण अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 25-07-2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक121/1994-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-10-96 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि बंशराज सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह चौहान ने नायब तहसीलदार प्रभारी कोरवल तहसील चितरंगी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

कर मांग की कि ग्राम पोडी की भूमि सर्वे कमांक 292/1 रकबा 0.40 ए. पर उसका लंबे समय से कब्जा चला आ रहा है इसलिये शासकीय अभिलेख में कब्जा दर्ज किया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 2 अ-6-अ/91-92 पंजीबद्ध किया तथा वाद जांच आदेश दिनांक 12-10-92 पारित करके खसरे के खाना नंबर 12 में बंशराज सिंह पुत्र रामप्रताप का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी ने प्रकरण कमांक 45/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-5-1993 से अपील ऑशिक रूप से स्वीकार कर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 12-10-92 निरस्त कर दिया एंव प्रकरण पुर्नसुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर बेढ़न जिला सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर बेढ़न ने प्रकरण कमांक 255/92-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-6-94 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17-5-93 निरस्त करते हुये नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 12-10-92 स्थिर रखा। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 121/1994-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-10-96 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के व्यक्त विचारों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायब तहसीलदार प्रभारी कोरावल तहसील चितरंगी ने ग्राम पोडी की भूमि सर्वे कमांक 292/1 रकबा 0.40 ए. पर प्रकरण कमांक 2 अ-6-अ/91-92 में पारित आदेश दिनांक 12-10-92 से खसरे के खाना

नंबर 12 में बंशराज सिंह पुत्र रामप्रताप का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी ने प्रकरण कमांक 45/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-5-1993 से इस आधार पर निरस्त किया है कि नायब तहसीलदार ने दिनांक 20-7-92 को कैंप पोडी पर प्रकरण लिया था एंव आडरशीट में लिखा है कि आवेदक एंव अनावेदक उपस्थित, जबकि अनावेदक मौके पर उपस्थित नहीं थे एंव नायब तहसीलदार ने उन्हें सूचना भी नहीं दी थी। अनुविभागीय अधिकारी ने माना है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की किसी भी धारा में उल्लेखित नहीं है कि मनमाने तरीके से किसी हितबद्ध व्यक्ति का स्वत्व नष्ट किया जाय, जिसके कारण उन्होंने नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही विधि सम्मत प्रकिया पर आधारित होना नहीं पाये जाने से पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने एंव वास्तविक स्थिति जॉचने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण अपर कलेक्टर बेढ़न का आदेश दिनांक 30-6-94 एंव आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 18-10-96 भ्रमपूर्ण एंव वास्तविक स्थिति के विपरीत होना पाये गये हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा प्रकरण कमांक 121/1994-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-10-96 तथा अपर कलेक्टर बेढ़न द्वारा प्रकरण कमांक 255/92-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-6-94 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाकर अनुविभागीय अधिकारी का पक्षकारों की पुर्नसुनवाई हेतु पारित आदेश दिनांक 17-5-93 स्थिर रखा जाता है एंव निगरानी ऑशिकरूप से स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर